IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

T.S- 86/18

DASARATH CHAUDHARY .....PLAINTIFF

Vs.

SHIV PRASAD MAHTO & OTHERS.....DEFENDANTS

21.10.20 वादी द्वारा दिनांक–15.05.19को निषेधाज्ञा आवेदन दाखिल किया गया। वादी का कथन है कि विवादीत भूमि के वो खरीददार है, उन्होनें विवादीत भूमि प्रतिवादी संख्या–04, राम प्रसाद महतो से खरीद किया है। अन्य प्रतिवादीगण वादी से खरीदगी भूमि पर अवैध रूप से भवन निर्माण हेतु सामग्री इकट्ठा कर रहे है तथा फर्जी दस्तावेज सृजित कर वादी को विवादीत भूमि से वंचित करना चाहते है। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित किया जाए।

अभिलेख देखने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी की ओर से केवल प्रतिवादी संख्या–04, जो वादी के विक्रेता है, वो मात्र उपस्थित हुए है। अन्य प्रतिवादी अनुपस्थित है। हालाकि उनके विरूद्ध कारण–पृच्छा नोटिस जारी किया जा चुका है।

प्रस्तुत अभिलेख के वाद–पत्र में वादी ने दावा किया है कि धनुसी महतो को दो पुत्र फाल्गुनी महतो व लक्ष्मी महतो थे। लक्ष्मी महतो नावल्द होने के कारण अपने भाई फाल्गुनी महतो के द्वितीय पुत्र, राम प्रसाद महतो को गोद ले लिया था। वहीं राम प्रसाद महतो (प्रतिवादी संख्या–4), लक्ष्मी महतो के दत्तक पुत्र होने के हैसियत से वादी को लक्ष्मी महतो के हिस्से में जमीन बेंची है। परन्तु अभिलेख पर वादी अथवा प्रतिवादी संख्या–04(राम प्रसाद महतो) द्वारा किसी भी प्रकार का कोई गोदनामा दस्तावेज अभिलेख पर नहीं लाया गया है और न ही किस तिथि वो उम्र में राजेन्द्र महतो को गोद लिया गया है स्पष्ट होता है, जिससे गोद लेने की बात को तत्काल कोई समर्थन मिले।

अधिवक्ता आयुक्त अपने प्रतिवेदन में प्रश्न संख्या–03 के उत्तर देने के क्रम में स्पष्ट किया है कि निरीक्षण के क्रम में विवादित स्थल पर एक पुराना संरचना अवस्थित है, जो कि विवादित स्थल पर वादी के द्वारा निर्माण कार्य के दावा के प्रतिकुल है। जहां तक विवादित भूमि के बिल्डिंग मेटेरियल का संबंध है। किसका है, अधिवक्ता के प्रतिवेदन में स्पष्ट नहीं किया गया है।

अभिलेख अभी प्रारंभिक अवस्था में है तथा प्रतिवादी संख्या–04(राम प्रसाद महतो) को लक्ष्मी महतो द्वारा गोद लिए जाने के बात पर पर्याप्त स्पष्टता आनी बाकी है, वही अन्य प्रतिवादीगण 1 ता 3 उपस्थित नहीं हो सके है। ऐसी परिस्थिति में निषेधाज्ञा आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। अतः निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपस्थिति हेतु प्रकाशन की पैरवी करे।

दिनांक 09.12.20 वास्ते करने दाखिल प्रकाशन का प्रारूप।

अवर न्यायाधीश

9.12.20 Ld. counsel of plaintiff & defendant no. 4 appeared. Put up on 13.01.21 for filing requisites of publication.

Sub-Judge